

न्यायालय उत्तर

लाल पुत्र हरिया जा
राम पुत्र पूरणमल

प्राथ

07/2021 - आ
अर्थ अस्थाई फ
अब 271 है 1
'85 रकबा
जिल अलवर
कर्म कर
ख इन्ड

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस हुक्म में जा
	<p>वकील द्वारा मुलवाद निश्च कर लिया गया है। मुलवाद का निवारण हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र 212 RT Act का कोई कोयित्व नहीं रहता है।</p> <p>इस प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के फॉर्मल शुमार लेकर शिफ्टर तकम की जाती है। सेलजन मुलवाद है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी ऐणी जिला अलवर</p>	<p>विभागीय</p> <p>शुभ</p> <p>अ. 16</p> <p>वि. 17</p> <p>पु. (माम)</p> <p>नारायण लाल</p>